फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....झुबेर खाँन.....बनाम.....मीरचंद वगैरा.....

प्रकरण सं.....1/11/24..... तारीख रजू.....08.2.24.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
08.2.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी की ओरसे यह दावा अधिवक्ता श्री विष्णु सैनी ने पेश किया। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण को जर्ये रजि० डाक से सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.2.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
29.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते बैलआट तामिल रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली अपंहा दिनांक 28.3.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
28.3.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब.....का.....दिनांक दी। अति मार्फ SDO साहब लक्ष्मणगढ़ के पास.....है। पत्रावली दिनांक.....02.5.24.....को पेश हो। रीडर	
02.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित किया है। P.O. साहब.....अवकाश.....पर.....है। पत्रावली दिनांक.....17.5.24.....को पेश हो। रीडर	
17.5.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब.....का.....दिनांक दी। अति मार्फ SDO साहब लक्ष्मणगढ़ के पास.....है। पत्रावली दिनांक.....20.6.24.....को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकीलवादी उपस्थित। वकीलवादी द्वारा क्लेम लगाया पेश किया गया। पटवारी/गिरदावर को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली वापस लगी हेतु आगामी दिनांक 26.5.25 मुकर्रर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
26.5.25	पत्रावली पेशी P.O. साहब.....द्वारा मिति.....है। .....भिजवाई गई थी। पत्रावली दिनांक 09.6.25 को पेश हो। रीडर
09.6.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते इन्कार तामिल रिपोर्ट आपेदा दिनांक 03.07.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
03.7.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली देखी पाई से तलबी में विचाराधीन है। तलबी हेतु बार-बार पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु वकील वादी द्वारा अभिदांक तक प्रतिवादीगण की तलबी नहीं कराई गई है। अतः दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से रुक्म हो। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०